न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 115/2007 (उदयपुर आर्डर)

1. हवा पिता वीरमा भील, निवासी पारेवी कन्थारिया, तहसील झाड़ोल, उदयपुर (राज.)
2. भंवरलाल पिता हवा भील, निवासी पारेवी कन्थारिया, तहसील झाड़ोल, उदयपुर (राज.)
3. दीतराज पिता हवा भील, निवासी पारेवी कन्थारिया, तहसील झाड़ोल, उदयपुर (राज.)
4. नानका पिता हवा भील, निवासी पारेवी कन्थारिया, तहसील झाड़ोल, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. लालूराम पिता भूराजी भील, निवासी पारेवी कन्थारिया, तहसील झाड़ोल, उदयपुर (राज.)
2. लिम्बाराम पिता भूराजी भील, निवासी पारेवी कन्थारिया, तहसील झाड़ोल, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भूराजस्व अधि.1956 विरूद्ध निर्णय
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उदयपुर
दिनांक 27.07.2007 प्र.सं.13/2006

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री लोकेश जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 27–11–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर

निवेदन किया कि ग्राम कन्थारिया में आराजी नंबर 2884, 2895 व 2903 स्थित है, जिसका आवंटन विपक्षीगण ने तथ्यों को छिपाकर कराया है व पटवारी रिपोर्ट में आवंटी के पास पूर्व से 2.03 हैक्टर भूमि होने की रिपोर्ट पेश की है। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं है तथा आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है। आवंटन पूर्व उद्घोषणा भी जारी नहीं की गयी है एंव आवंटन पूर्ण कोरम में नहीं किया गया है। विपक्षीगण ने आवंटन धोखा–धड़ी से मिस रिप्रेजेन्टेशन से कराया है तथा मौके पर आवंटी को कब्जा भी सुपर्द नहीं किया गया है।

विपक्षीगण की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह भूमि विपक्षी/आवंटी के कब्जे में होने से उसे नियमानुसार आवंटित की गयी है। प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार नहीं है। प्रार्थीगण का आराजी नंबर 2884 पर भी कब्जा नहीं है तथा कोरम ने पूरा विचार कर आवंटन किया है। अतएवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट तलब की गयी, जिसमें भूमि पर कब्जा विपक्षी/आवंटी का लालूराम व लिम्बाराम का होना पाया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 27–07–2007 से अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर आवंटन आदेश को बहाल रखा, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17–10–2007 को प्रस्तुत की।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि कथित निर्णय होते ही प्रार्थीगण को इसकी सूचना नहीं मिली, क्योंकि वकील साहब ने चिठ्ठी लिखी जो उन्हें नहीं मिली। वकील साहब ने कथित आदेश की प्रतिलिपि दिनांक 18–08–2007 को प्राप्त कर ली थी, जिसकी सूचना प्रार्थीगण को दिनांक 26–09–2007 को मिली तब प्रार्थी बीमार हो जाने से उदयपुर उपस्थित नहीं हो सका। दिनांक 15–10–2007 को तबियत ठीक होने पर यह अपील तुरन्त पेश कर दी। न्यायहित में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री लोकेश जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए उसे अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन पूर्व प्रोक्लेमेशन जारी नहीं होते हुए भी व प्रोक्लेमेशन की कोई तामील नहीं होते हुए भी उसके संबंध में अपने निर्णय में एक शब्द भी नहीं लिखा है। रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा नहीं है, कब्जा अपीलान्ट का है। आवंटन फ्रोड एवं मिसरिप्रेजेन्टेशन से प्राप्त किया गया है तथा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय का सारा आदेश कयासी आधारों पर है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27–07–2007 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया है :–

1. विपक्षीगण को किये गये भूमि आवंटन अनुसार मौका रिपोर्ट में भी लालूराम एवं लिम्बा का कब्जा माना गया है।
2. विपक्षीगण को दिनांक 23–12–2005 को आवंटन किया गया है तथा प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 03–06–2006 को प्रस्तुत कर दिया गया है। इतनी कम अवधि में काश्त संबंधी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है, विपक्षीगण को भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु पर्याप्त समय की दरकार होती है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि आवंटियों ने काश्त नहीं की है।
3. प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि आवंटन से पूर्व उनका कब्जा रहा हो।

इस प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने जो उजर लिये हैं उसके बाबत् प्रमुखता उन्हें स्वयं को व्यथित पक्षकार साबित कराना था ताकि उसके आवंटन खारिज कराये जाने के अधिकारों को समझा जा सके। इस प्रकरण में अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने स्वयं का उक्त भूमि पर कब्जा होना बताया है जिस बाबत् उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार कब्जा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण का पाया गया है। यदि अपीलान्ट राजकीय भूमि पर अतिक्रमी होने के आधार पर अपने स्वयं के आवंटन का हक मानते हैं तथा उनके स्वयं द्वारा आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, तो इस तथ्य को उन्हें स्वयं साबित कराना था, अपीलान्ट रेस्पोन्डेन्ट की तकनीकि खामियों को इंगित करता है, परन्तु यह दायित्व उसके स्वयं का था कि वह यह साबित कराये कि आवंटन पूर्व उद्घोषणा नहीं हुई तथा उसकी चस्पानगी नहीं हुई है, इसके लिए उसे आवंटन अधिकारी के कार्यालय से उद्घोषणा की प्रलितिपि मांगकर उन्हें पेश करनी था तथा उसकी जो भी आपत्तियों थी, उसे स्वयं साबित कराना था, क्योंकि किसी भी आवेदन के प्रमाणन का दायित्व स्वयं आवेदक का होता है, उक्त भार विपक्षी पर नहीं डाला जा सकता।

इस प्रकरण में आवंटन किस प्रकार से धोखे से एवं मिस रिप्रेजेन्टेशन से प्राप्त किया गया है, इस बाबत् उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रकरण में इसके विपरीत अपीलान्ट के लिखित कथनों से पृथक जाकर पटवारी की रिपोर्ट में आवंटी के पिता के खाते में 2.03 हैक्टर भूमि होना अंकित किया है, जबकि अपीलान्ट उक्त समस्त भूमि को आवंटी की होना बताकर उसे अपात्र बताता है, जबकि आवंटी के खाते में 0.67 हैक्टर भूमि होना ही पटवारी द्वारा रिपोर्ट की गयी है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूमि की उद्घोषणा होने बाबत् भी स्पष्ट रिपोर्ट की गयी है। आवंटन शर्तो की आवंटी द्वारा पालना नहीं की गयी हो इस बाबत् अपीलान्ट सिर्फ कथन करता है, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। सारभूत रूप से यह तथ्य सामने आता है कि अपीलान्ट/प्रार्थीगण आवंटी को आवंटित भूमि के कुल किता 3 में से एक भूमि पर अपना कब्जा होना बताता है, जिसके लिए उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसके विपरीत उक्त भूमि पर मौका निरीक्षण के दौरान कब्जा आवंटी/विपक्षीगण का पाया गया है।

अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2007 (1) पेज 1048, आर.आर.डी. 1985 पेज 564, आर.आर.डी. 1995 पेज 340, आर.आर.डी. 1982 पेज 497, आर.आर.डी. 1982 पेज 237 व 521, आर आर.आर.टी. 2005 (1) पेज 83, आर.आर.डी. 2002 पेज 1, आर.बी.जे. 2006 पेज 168, आर.बी.जे. 1999 पेज 443, आर.आर.डी. 1977 पेज 82 एवं आर. आर.टी. 2006 (2) पेज 1138 प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें यह वर्णित किया गया है कि आवंटन नियमों की पालना किया जाना वांछनीय है। इस प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि आवंटन नियमों के किन नियमों की किस प्रकार पालना नहीं की गयी है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थीगण का आवंटन निरस्ती का आवेदन खारिज करने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–07–2007 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर